दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्–द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से **पैंतालीस (45) दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नम्बर/संपर्क नम्बर/ई–मेल आई.डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

अध्याय 4.0 आश्रय

दि.मु.यो.–2021

पैरा 4.4.3 आवासीय परिसरों के अंदर भवन/भवनों के लिए नियंत्रण, क. आवासीय प्लॉट–प्लॉटों वाले आवास–निबंधन एवं शर्तें:

विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन
(xx) अधिकतम **64 वर्ग मी. तक** के दो प्लॉटों के समामेलन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों सहित होगी: • स्थानीय निकाय इसके साथ–साथ ले–आउट प्लान में संशोधन करेगा। • अधिकतम ग्रांउड कवरेज, सेटबैक, पार्किंग आवासीय इकाइयाँ आदि समामेलित प्लॉट आकार हेतु होंगी। • अनुमेय अधिकतम एफ.ए.आर. दो अलग–अलग प्लॉटों के मामले में अनुमेय एफ.ए.आर. से कम नहीं होगा।	(xx) अधिकतम **200 वर्ग मी. तक** के दो प्लॉटों के समामेलन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों सहित होगी: • स्थानीय निकाय इसके साथ–साथ ले–आउट प्लान में संशोधन करेगा। • अधिकतम ग्रांउड कवरेज, सेटबैक, पार्किंग आवासीय इकाइयाँ आदि समामेलित प्लॉट आकार हेतु होंगी।

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.–2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् **www.dda.org.in** पर भी उपलब्ध है।

हस्ता./–

फाइल सं. एफ 20(1)/2013/एम.पी.
दिनांक : 03.09.2019
नई दिल्ली

(बी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 पर डायल करें